



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092020-222166
CG-DL-E-30092020-222166

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 275]
No. 275]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2020/आश्विन 8, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2020/ASVINA 8, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2020

ओआई मामला सं. 37/2020

विषय : सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

सं. 6/44/2020 – डी जी टी आर.—1. मै. इण्डोरामा इंडस्ट्रीज लिमि. (जिसे यहां आगे “याचिकाकर्ता” अथवा “आवेदक” भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष सिंगापुर से इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न (जिसे आगे ‘संबद्ध वस्तु’ ‘पी यू सी’ कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन दायर किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

- वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद “सभी डिनायर्स का इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न” है। संबद्ध वस्तुओं का विवरण डिनायर्स के मामले में उल्लेख किया गया है तथा उन्हें आमतौर पर 10 से 1680 डिनायर्स के रेंज में बेचा जाता है।

3. निम्नलिखित उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है :

क. कलर्ड इलास्टोमेरिक यार्न;

ख. बीम पर इलास्टोमेरिक यार्न;

ग. संबद्ध वस्तु जिसका बर्नाड नाम “लाइक्रा®” है और वह प्रक्रिया नियंत्रण स्थितियों के अंतर्गत निर्मित एक विशिष्ट और परिष्कृत उत्कृष्ट उत्पाद है जो पेटेंट के द्वारा संरक्षित है।

घ. संबंधी आवश्यकताओं जैसे डायपरो के उद्देश्य से इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न को विचाराधीन उत्पाद से बाहर नहीं रखा जाता है।

4. संबद्ध उत्पादों का वर्गीकरण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय शीर्षक 54 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। आठ अंक के स्तर पर यह वर्गीकरण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 का 54024400 और 54041100 है। सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ख. समान वस्तु

5. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु जिन्हें भारत में पाटित किया जा रहा है घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किये गये वस्तुओं के सदृश्य है। पाटित आयातों और घरेलू स्तर पर उत्पादन किये गये संबद्ध वस्तुओं और आवेदक द्वारा निर्मित विचाराधीन उत्पाद के तकनीकी विनिर्देशों, गुणवत्ता, कार्य और अंतिम उपयोगों में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इस कारण से उन्हें नियमावली के अंतर्गत “समान वस्तु” के रूप में माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के उद्देश्य से भारत में आवेदक द्वारा उत्पादन किये गये संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से आयात किये जा रहे संबद्ध वस्तुओं को “समान वस्तु” के रूप में माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग और स्थिति

6. यह आवेदन मै. इण्डोरामा इंडस्ट्रीज लिमि. द्वारा दायर किया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, संबद्ध वस्तुओं का केवल एक अन्य उत्पादक अर्थात् एचवाईओएसयूएनजी इंडिया प्रा. लिमि. है। आवेदक ने यह दावा किया है कि उन्होंने सिंगापुर से संबद्ध वस्तुओं का न तो आयात किया है न ही उनका संबंध सिंगापुर में संबद्ध वस्तुओं के किसी अन्य उत्पादक/ निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता का संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन में बहुत बड़ा हिस्सा है। इस कारण से प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को इस नियमावली के नियम 2(ख) के आशय से घरेलू उद्योग के रूप में माना है और एक आवेदन उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के संदर्भ में स्थिति के मानदंड को पूरा करता है।

घ. कथित पाटन का आधार

क. सामान्य मूल्य

7. संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य पर बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्च और उचित को विधिवत समायोजित करते हुए उत्पादन की लागत के आधार पर संबद्ध देश में उत्पादन की लागत के अनुमान के आधार पर किया गया है।

ख. निर्यात कीमत

8. प्राधिकारी ने वाणिज्यिक सूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस), लेन देन वार आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर सिंगापुर से लिए निर्यात कीमतों की गणना की है। समायोजन समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, पोर्ट खर्च, बैंक शुल्क, ऋण लागत और रख-रखाव शुल्क के लिए किया गया है।

ग. पाटन मार्जिन

9. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है जो प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि पाटन मार्जिन सिंगापुर से पी यू सी के संबंध में न्यूनतम स्तर से ऊपर है। इस बात के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं कि सिंगापुर से विचाराधीन उत्पाद का पाटन भारतीय बाजार में सिंगापुर के निर्यातकों द्वारा किया जा रहा है।

ड. क्षति और कारणात्मक संबंध

10. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है। आवेदक ने समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के परिणामस्वरूप कथित पाटन के कारण हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने यह दावा किया है कि इसके कार्य निष्पादन पर घरेलू उद्योग के लिए बिक्री कीमत और क्षति रहित कीमत से कम कीमत पर विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि के फलस्वरूप वित्तीय हानि और लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक लाभ के संबंध में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस बात के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और यह पाटनरोधी जांच की शुरुआत को सही ठहराता है।

च. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

11. घरेलू उद्योग द्वारा अथवा इसकी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन के होने, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, का निर्धारण करने के लिए जांच की शुरुआत करते हैं।

छ. संबद्ध देश

12. वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश सिंगापुर है।

ज. जांच की अवधि

13. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पी ओ आई) 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक (12 महीने) है। हालांकि, जांच के अधीन क्षति की अवधि में अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017; अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018, अप्रैल 2018 से मार्च, 2019 की अवधियां और जांच की अवधि (पी ओ आई) शामिल होंगी।

झ. प्रक्रिया

14. नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच के लिए पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

15. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी पत्र ई-मेल पते adg12-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in तथा dd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो। संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित रूप में अथवा तरीके से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
16. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
17. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ट. समय सीमा

18. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना ईमेल पतों adg12-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in तथा dd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए। हालांकि, यह नोट किया जाये कि उक्त उप-नियम की व्याख्या के संबंध में, सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाली सूचना के संबंध में यह माना जायेगा कि वह उस तिथि से एक सप्ताह पहले प्राप्त हो गया है जिस तिथि को इसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को संप्रेषित किया गया था। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना पूरी नहीं हो तब प्राधिकारी इस नियमावली के अनुसार रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को रिकार्ड कर सकते हैं।
19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचना दें और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करें।
20. इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे डी जी टी आर की अधिकारिक वेबसाइट अर्थात् www.dgtr.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले अथवा गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार से यह अपेक्षित है कि वे इस नियमावली के नियम 7(2) के संबंध में उसका एक अगोपनीय पाठ साथ-साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का पालन नहीं करने पर प्रत्युत्तर/ अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता है।
22. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्टों/ अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों से यह अपेक्षित है कि वे पृथक् रूप से गोपनीय और अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करें।
23. “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” के रूप में स्पष्ट से चिह्नित किया जाना चाहिए। ऐसे चिह्न के बिना कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उन अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
24. गोपनीय पाठ में वे सभी सूचना निहित होंगी जो गोपनीय प्रकृति की हैं और/ अथवा अन्य प्रकार की सूचना है जो इस प्रकार की सूचना देने वाले व्यक्ति गोपनीय के रूप में दावा करते हैं। उस सूचना के लिए, जिसके संबंध में गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा वह सूचना जिसके संबंध में अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, सूचना देने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ-साथ सही कारण का विवरण उपलब्ध कराएं कि क्यों इस प्रकार की सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता है।
25. अगोपनीय पाठ के लिए यह अपेक्षित है कि वह गोपनीय सूचना अधिमानतः सूचीबद्ध अथवा कवर किया (यदि अनुक्रमण संभव नहीं हो) और उस सूचना जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया हो, के आधार पर सारांश किए जाने के साथ गोपनीय पाठ की एक प्रतिकृति हो। अगोपनीय सारांश विस्तृत ब्यौरे के साथ होने चाहिए जिसमें कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के अर्थ को तर्कसंगत तरीके से समझा जा सके। हालांकि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह उल्लेख कर सकते हैं कि इस प्रकार की सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है और कारणों का एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि क्यों इसका सारांश किया जाना संभव नहीं है।
26. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के लिए अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा यदि सूचना देने वाला व्यक्ति इस सूचना को सार्वजनिक करने के लिए या तो इच्छुक नहीं हैं अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में इसके प्रकटन के लिए अधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, तब प्राधिकारी इस प्रकार की सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

27. उसके सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में सही कारण का विवरण दिए बिना कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
28. प्राधिकारी संतुष्ट होने पर और दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर उस सूचना को प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट अधिकरण के बिना किसी पक्षकार को उसे प्रकट नहीं करेंगे।

ठ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

29. इस नियमावली के नियम 6(7) के संबंध में, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है। सार्वजनिक फाइल को इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखने के तौर तरीकों का निर्धारण किया जा रहा है।

ड. असहयोग

30. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना तक पहुंच की अनुमति देने से इंकार करता है अथवा अन्य प्रकार से उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या इस जांच में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचाता है तब प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी के रूप में घोषित कर सकते हैं तथा अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम को रिकॉर्ड कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिश, जिसे वे उचित मानते हों, कर सकते हैं।

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2020

OI Case No. 37/2020

Subject : Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Elastomeric Filament Yarn originating in or exported from Singapore.

F. No. 6/44/2020-DGTR.—1. M/s. Indorama Industries Limited (hereinafter also referred to as the 'Petitioner' or 'Applicant') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority') in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules') for imposition of Anti-Dumping Duty on imports of Elastomeric Filament Yarn (hereinafter referred to as the 'subject goods' or 'PUC') from Singapore.

A. Product under consideration

2. The product under consideration in the present application is "Elastomeric Filament Yarn of all deniers". The subject goods are described in terms of the deniers and are sold generally in the range of 10 to 1680 deniers.
3. Following products are excluded from the scope of the product under consideration:
 - a. Coloured Elastomeric Yarns;
 - b. Elastomeric yarns on Beam;
 - c. Subject goods having brand name as "Lycra®" as the same is a specialized and fine quality product manufactured under process control conditions, which are patent protected.
 - d. Elastomeric Filament Yarn meant for hygiene requirements such as diapers are also excluded from the product under consideration.

4. The subject products are classified under Chapter Heading 54 of the Customs Tariff Act. The classification at the 8-digit level is 54024400 and 54041100 of the Customs Tariff Act, 1975. The custom classification is indicative only and not binding upon the product scope.

B. Like Article

5. The applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicant. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

C. Domestic Industry & Standing

6. The application has been filed by M/s Indorama Industries Limited. As per the information available there is only one other producer of the subject goods namely Hyosung India Private Limited. The applicant has claimed that they have neither imported the subject goods from Singapore nor are they related to any other producer/exporter of subject goods in Singapore or any importer in India. Further, the petitioners account for a major proportion in Indian production of the subject goods. Therefore, the Authority has considered the petitioners as the Domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules.

D. Basis of alleged dumping

a. Normal value

7. The normal value for the subject country has been considered based on estimates of cost of production in the subject country on the basis of cost of production, duly adjusting selling, general & administrative expenses with reasonable profit.

b. Export Price

8. The Authority has computed the export prices from Singapore based on Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, commission, credit cost and handling charges.

c. Dumping Margin

9. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows dumping margin above the de-minimis level in respect of the PUC from Singapore. There is sufficient prima facie evidence that the PUC from Singapore is being dumped into the Indian market by the exporters from the Singapore.

E. Injury & Causal Link

10. Information furnished by the Applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicant has furnished prima facie evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping, resulting in increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India. The Applicant has claimed that their performance has been adversely impacted in terms of financial losses and negative return on capital employed, as a result of increase in imports of product under consideration at a price below selling price and non-injurious price for the domestic industry. There is prima facie evidence of material injury being caused to the domestic industry by dumped imports from subject country to justify initiation of anti-dumping investigation.

F. Initiation of Anti-Dumping Investigation

11. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the Domestic Industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the Domestic

Industry, substantiating dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, injury to the Domestic Industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

G. Subject country

12. The subject country for the present investigation is Singapore.

H. Period of Investigation

13. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st April 2019 to 31st March 2020 (12 months). The injury period under investigation will, however, cover the periods April 2016 to March 2017, April 2017 to March-2018, April 2018 to March 2019, and the period of investigation (POI).

I. Procedure

14. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

J. Submission of information

15. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address adg12-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in and dd15-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format. The known producers/exporters in the subject country, Government of the subject country through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
16. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
17. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

K. Time Limit

18. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg12-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in and dd15-dgtr@gov.in within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.
20. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of DGTR i.e. www.dgtr.gov.in for any updated information with respect to this investigation.

L. Submission of Information on Confidential basis

21. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

22. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
23. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
24. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
25. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
26. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
27. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
28. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. Inspection of Public File

29. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

N. Non-cooperation

30. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority